[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 33/2020 - **केन्द्रीय कर**

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.......(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 04/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में दे दिए है ।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्‍वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2020-केंद्रीय कर, तारीख 10 जनवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 26(अ) तारीख 10 जनवरी, 2020 द्‍वारा संशोधित की गई थी ।